क्रमांक सं0-1135
दिनांक --25/10/21---
फाइल नं0--15 वि0

आदेश –

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौंता–मालकोटी–सैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.890 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 3.780 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/138/2020/एफ0सी0/2363 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप महानिरीक्षक, वन(के0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बीं/यू0सी0पी0/06/138/2020/एफ0सी0/2363 दिनांक 25.02.2021 की शर्त सं0–3(क) के अनुसार एवं उप जिलाधिकारी पोखरी की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में रौंता–मालकोटी–सैरा तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.890 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में ग्राम नौली रा0उ0नि0 क्षेत्र मसोली तहसील पोखरी की ख0खा0सं0–04 के खसरा सं0–204 रकबा 1.654 है0 भूमि मध्ये 1.304 है0, खसरा सं0–205 रकबा 1.564 है0 भूमि मध्ये 1.232 है0 एवं खसरा सं0–208 रकबा 1.564 है0 भूमि मध्ये 1.244 है0 अर्थात कुल 3.780 है0 भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी–9(3)ड. बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII (II)/2012–18(120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(हिमांशु खुराना),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 48 /छब्बीस–2 (2021–2022) गोपेश्वरः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, पोखरी।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी।

जिलाधिकारी,
चमोली।

वन भूमि हस्ता0 / AE II

पत्रांक – 1923/15 वि0, 29/10/2021
श्री खनीश सैनी, अमीन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

EXE Eng
18/10/2021

O/C

AE

फांट (खेवट) खाता नंबर	मुन्तखिब (खतौनी) खाता की क्र० सं०	खातेदार / शिकमी का नाम, पिता का नाम तथा निवास-स्थान	मुद्दत काश्त या कब्जा	हाल खसरा नम्बर	क्षेत्रफल नाली मुट्ठी में	नाम तोक	[illegible]	मालगुजारी अथवा लगान (जो सिरतान हो)	सेस	मालिकाना	थोकदारी या मालगुजारी	किस्म जमीन: तलांव	उपराव: अव्वल	उपराव: दोयम	इजरान	कंटील	कुल रकबा	विस्तार: कानूनी	विस्तार: गैर कानूनी	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	0.0⁸95		८	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
		लेखक्र		१६९	४००।	0.085														
				१९२	३१	0.065														
				१९४	४॥=	0.094														
				१९८	१६	0.260														
				१९९	८॥=	0.013														
				[illegible]	४६।-	0.926														
				[illegible]	२९॥=	0.594														
				[illegible]	२५।-	0.506														
				[illegible]	९२२	92.62														
				[illegible]	९२४	2500														
				[illegible]	९५८	3000														
				[illegible]	४०	1000														
				[illegible]	४९।	1145														
				206	४६	1000														
			प्रस्तावित	201	२५	0.500														
				202	३५	0.700														
				203	56	1400														
				204	८२	1.640														
				205	९०															
				[illegible]	२५	1.560														
			प्रस्तावित	207	४०	1.000														
				208	३०	1560														
				[illegible]		1100														
				[illegible]	४९	1120														
				[illegible]	६२॥=	0.853														
				[illegible]	३९॥=	.238														
				[illegible]	८२॥=	1.114														

आदेश

जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में गौना-भालकोटी-सेरा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.890 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये चिन्हित 3.780 है० सिविल सोयम वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव उपमहानिरीक्षक वन (के०) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं० -08 बी/यू०सी०पी०/06/138/2020/एफ०सी०/2363 दिनांक 25.02.2021 की शर्त सं०-3(ड) के अनुसार एवं उपजिलाधिकारी पोखरी की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में गौना-भालकोटी-सेरा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.890 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम गौवी रा० उ० नि० क्षेत्र मसोली, तह० पोखरी की खाता सं० 04 के खसरा नं०-204 रकबा 1.654 है० मध्ये 1.304 है०, खसरा सं० -205 रकबा 1.564 है० भूमि मध्ये 1.232 है० एवं खसरा नं० 208 रकबा 1.564 है० मध्ये 1.244 है० अर्थात कुल 3.780 है० भूमि जो नॉनजेडस श्रेणी-9(3)ड. बंजर भूमि के रूप में दर्ज भूमि अभिलेख है को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं० -2173/XVIII(II)/2012-18(20)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

अमलदरामद किया गया

(हस्ताक्षर) 30/?/2021 रा० उ० नि० मसोली

(हस्ताक्षर) राजस्व उपनिरीक्षक मसोली, तहसील पोखरी, जनपद-चमोली